राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	315/2013 आम जनता बनाम शिवदयाल हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11/05/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद संख्या 299/2008 पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17/10/2012 के विरुद्ध इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपीले क्रमश: 315/2013 व 170/2013 में इकजाई बहस सुनी जानी उचित समझी जाती है। अत: अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस दोनों पत्रावलीयो पर ईकजाई रूप से सुनी गयी। अत: पत्रावलीयां निर्णय हेतु रिजर्व की जाती है। पत्रावलीयां वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 05/06/2026 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
05/06/2026	आज यह पत्रावलीयां वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 शिवदयाल ने साबिक खसरा नम्बर 855/874 रकबा 10 बीघा ग्राम कोथून में राज्य सरकार द्वारा सोहनलाल पुत्र गुलाबचन्द जाति गुर्जर को अलोट की गई थी तथा गैर खातेदारी दी गई थी इसके पश्चात नामान्तरकरण संख्या 660 दिनांक 07.01.1983 द्वारा गैर खातेदारी से खातेदारी दी गई इसके पश्चात वादी ने उक्त खातेदार सोहनलाल से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 03.06.1986 द्वारा उक्त भूमि खरीद ली तथा कब्जा प्राप्त कर लिया, जो कब्जा वादी ने अपनी पत्नी के नाम खसरा नम्बर 855/878 रकबा 10 बीघा के लगवा प्राप्त किया था इसका नामान्तरकरण भी वादी के नाम जरिये नामान्तरकरण संख्या 693 दिनांक 05.06.1986 द्वारा राजस्व कैम्प में खोला जाकर वादी के नाम खातेदारी दर्ज की गई। भूप्रबन्ध के दौरान इनके नये नम्बर 2499, 2500, 2494 बनाये गये, किन्तु इनकी खातेदारी प्रतिवादी के नाम दर्ज कर दी, जो भूप्रबन्ध कर्मचारियों की गलती है, जिसका गलत इन्द्राज दुरुस्त होना चाहिए। वादी आज भी अपने मौके पर काबिज है। वादी आज भी साबिक नक्शे व मासबुक अनुसार काबिज काश्त है। अभी जब वादी नई जमाबन्दी निकलवाने गया तो वादी को इन तथ्यों का पहली बार पता चला। इस कारण दावा पेश कर उक्त खसरा नम्बर 2499, 2500 व 2494 की खातेदारी वादी ने चाही तथा साबिक नम्बर अनुसार 10 बीघा भूमि की खातेदारी घोषणा व राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती चाही। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र प्रस्तुत होने पर वाद दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलबी हेतु सम्मन जारी किया गया। प्रतिवादीगण सख्या 1 व 2 ने जवाब दावा पेश कर निवेदन किया कि खसरा नम्बर 2499 व 2500 पर वादी का कब्जा नही रहा तथा इन पर प्रतिवादी संख्या राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

1 व 2 का ही कब्जा है | भू-प्रबन्ध विभाग ने कोई गलती नही की तथा रिकार्ड व कब्जे के अनुसार ही कार्य किया है | तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली में तनकीयात कायम कर निर्णय व डिक्री दिनांक 17/10/2012 पारित करते हुये वादी का वाद डिक्री फरमा दिया गया | जिससे व्यथित होकर इस न्यायालय के समक्ष पृथक-पृथक अपीले क्रमश: 315/2013 जो धारा-5 मियाद अधिनियम एवं धारा-96 जाप्ता दीवानी के पत्रों के साथ तथा 170/2013 प्रार्थना पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम के साथ प्रस्तुत की गयी है | जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस दोनों पत्रावलीयो पर ईकजाई रूप से सुनी गयी | चूँकि दोनों अपीले एक ही वाद में पारित निर्णय व डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है, जिसमे उभयपक्षों की ईकजाई बहस समायत की गयी है | अत: इस एक ही निर्णय के माध्यम से दोनों अपीलों का निस्तारण किया जा रहा है | निर्णय की एक-एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर सलग्न की जावे |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि विवादग्रस्त भूमि आवंटित भूमि है, जिसका आवंटन के उपरान्त गैर खातेदारी एवं तत्पश्चात खातेदारी अधिकारी प्रदत्त किये गये एवं आवंटन के उपरान्त कब्जा भी सुपुर्द किया गया किन्तु उक्त आवंटन को तहसीलदार अथवा आम जनता द्वारा कही भी चुनौती दिया जाना प्रकट नही होता है | ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण का अपीलाधीन निर्णय से व्यथित होना एवं प्रश्नगत भूमि से प्रभावित पक्षकार होना कतई जाहिर नही होता है, ऐसेमें अपील संख्या 315/2013 के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-96 जाप्ता दीवानी स्वीकार किया जाकर ईजाजत अपील का अनुतोष प्रदान किया जाना न्यायोचित्त एवं आवश्यक प्रतीत नही होता है | इसके अतिरिक्त दोनों अपीलों क्रमश: 315/2013 व 170/2013 के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम का प्रशन है तो इस सन्दर्भ में उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में प्रार्थना पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि दोनों अपीलों के अपीलार्थीगण द्वारा सरसरी तौर पर तथ्य अंकित कर मियाद का लाभ चाहा गया है जबकी विधि के प्रावधानों के अनुसरण में दिन-प्रतिदिन की देरी का ठोस एवं स्पष्ट कारण अंकित किया जाना आवश्यक होता है | ऐसी स्थिति में डिले कन्डोन का लाभ प्राप्त करने के अपीलार्थीगण अधिकारी प्रतीत नही होते है | इसके अतिरिक्त प्रकरण के गुणावगुण पर उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	आम जनता बनाम शिवदयाल हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	315/2013	

का अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा प्रेषित जवाब/रिपोर्ट एवं तहसीलदार चाकसू द्वारा प्रेषित जवाब का समुचित अध्ययन कर उक्त जवाब से यह स्पष्ट होने पर कि राजकीय भूमि गलती से 10 बीघा ज्यादा दर्ज हो गयी एवं ज्यादा दर्ज हुई भूमि वादी की है, के आधार पर सही रूप से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गयी है, जिसमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी प्रतीत नही होती है। विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 855/874 रकबा 10 बीघा भूमि स्थित ग्राम कौथून को विधिक प्रक्रियाओ एवं प्रावधानों के अनुसार सोहनलाल पुत्र गुलाबचन्द गुर्जर को आवंटित की गयी एवं आवंटन के उपरान्त गैर खातेदारी दर्ज की गयी तथा तत्पश्चात खातेदारी का नामान्तकरण संख्या 660 दिनांक 07/01/1983 मूल अलॉटीके पक्ष में खौला गया, जिसके उपरान्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा शिवदयाल ने उक्त भूमि को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया गया, जिसका नामान्तकरण संख्या 693 दिनांक 05/06/1986 खौला जाना अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से वादी का वाद सिद्ध होने के आधार पर ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री सही रूप से पारित किये गये है हम कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते है।

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 17/10/2012 यथावत रखे जाते है एवं दोनों अपीले क्रमश: 315/2013 व 170/2013 अस्वीकार कर ख़ारिज की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05/06/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर